संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, म0प्र0 भोपाल

फोन:- 0755.2578491, फेक्स - 0755.2570122

ईमेल: dirhort@mp.nic.in

क्रमांक/उद्यान/एस.एम.एफ.पी.//2016-17/ 2227 भोपाल, दिनांक 27/3/2017

-: परिपत्र :-

मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम खाद्य प्रसंस्करण उदयोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट वित्तीय सहायताएं मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति **2014** में जोड़े जाने की स्वीकृति वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग के पत्र क्रमांक 1892/921/2016/ए-11 दिनांक 06.08.2016 द्वारा प्रदान की गई है।

2. उपरोक्त स्वीकृति के परिशिष्ट के बिन्दु क्रमांक 4 में यह प्रावधान है कि **"**मध्यप्रदेश कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, **2012** के समाप्त होने के दिनांक से लेकर इस व्यवस्था के लागू होने के दिनांक तक प्राप्त आवेदनों, जिसमें निवेशकों द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है, उनमें वित्तीय सहायताएं मध्यप्रदेश कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, **2012** के अनुसार देय होगी**"**।

3. प्राप्त प्रकरणों को अनुदान सहायता की स्वीकृति हेतु गठित समिति एवं अनुदान गणना हेतु निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 06.08.2016 के पूर्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के प्रस्तावों को मध्यप्रदेश कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, **2012** के प्रावधानों के तहत तथा दिनांक 06.08.2016 के एवं उसके बाद बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के प्रस्तावों को मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, **2014** के क्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिये विशेष वित्तीय सहायता के तहत लाभ दिये जायेगें।

27/3

(सत्यानंद)
संचालक
उदयानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/उद्यान/एस.एम.एफ.पी.//2016-17/ 2228 भोपाल, दिनांक 27/3/2017

प्रतिलिपि :-

1. उप सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, **2014** के क्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो के विकास के लिये विशेष वित्तीय सहायतायें के बिन्दु क्रमांक 4 के प्रावधानो पर प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन नस्ती क्रमांक एफ-5/2016/58 दिनांक 20.03.2017 के तारतम्य में सूचनार्थ ।
2. खाद्य प्रसंस्कण उद्योगो को प्रोत्सहित करने के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायतायें के प्रकरणो के परीक्षण हेतु समिति के सदस्य श्री/श्रीमति...की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. श्री सौरभ, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त परिपत्र विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करे।

27/3

संचालक
उदयानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल